न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 593/2018

दर्शन कौर बनाम स्टेट आफ राजस्थान
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट

--निर्णय-- दिनांक : 10-9-2018

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 8 एस की जमाबदीं संवत 2072 ता 75 के खाता सं0 37/34 के मु0 नं0 43 के किला नं0 11 ,12,13,14,15 राजस्व रिकार्ड में बारानी अंकित है। जमाबंदी संवत 2024 ता 27 के मु0 नं0 43 के किला नं0 11 ता 15 में नहरी अंकन है। उक्त रकबा की पानी की बारी है। मौका पर नहरी है। परन्तु गलती से रकबा बारानी अंकित हुआ है जिसे चालू जमाबंदी में बारानी से नहरी किया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का के द्वारा रिपोर्ट अंकित की गयी कि चक 8 एस की जमाबदीं संवत 2072 ता 75 के खाता सं0 37 के मु0 नं0 43 के किला नं0 5 से 10 की 1.518 है0 नहरी व किला नं0 11 से 15 की 1.265 है0 बारानी रकबा दर्शन कौर पत्नी रणजीत सिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। जमाबंदी संवत 2018 ता 21 में यह रकबा किला नं0 5 से 15 नहरी दर्ज है। मु0 नं0 43 के किला नं0 10 से 15 मिसल बंदोबस्त में बारानी दर्ज है। जो कि आदिनांक तक जमाबंदी में बारानी दर्ज है। राजस्व रिकार्ड गिरदावरी के अनुसार मु0 नं0 43 के किला नं0 10 से 15 रकबे पर सिंचित काश्त हो रही है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उत्तर खण्ड श्रीगंगानगर की सीसीए रिपोर्ट के अनुसार मु0 न0 43 में 15 बीघा भूमि कमाण्ड दर्ज है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध मे पटवारी हल्का से पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 8 एस की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 37 के मु0 नं0 43 के किला 11 ता 15 की 1.265 हैक्टर बारानी रकबा स्वर्णजीत सिह पुत्र बलविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 4 वी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी अनुसार चक 8 एस के मु0 नं0 43 के किला नं0 1 से 10 नहरी दर्ज है। किला नं0 11 ता 25 कुल 15 बीघा बारानी दर्ज है। मौके पर किला नं0 1 से 15 सिचित काश्त हो रही है। सीसीए रिपोर्ट के अनुसार भी मु0 नं0 43 के 15 बीघा कमाण्ड है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी चक 8 एस के मु0 नं0 43 के किला नं0 11 ता 15 को राजस्व रिकार्ड मे जो बारानी दर्ज है को नहरी दर्ज करवाना चाहते है। जमाबंदी सम्वत 2018 ता 21 मे यह रकबा नहरी दर्ज है। सिचाई विभाग की सीसीए रिपोर्ट अनुसार मु0 नं0 43 मे 15 बीघा कमाण्ड रकबा है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार किला नं0 11 ता 15 मौके पर सिचित काश्त की जा रही है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत एवं तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 8 एस की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 37 के मु0 नं0 43 के किला नं0 11 ता 15 की 1.265 हैक्टर बारानी रकबा को राजस्व रिकार्ड मे नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस रकबा को बारानी से नहरी दर्ज किये जाने के संबंध मे यदि कोई अन्तर राशि देय होगी तो वह संबंधित पक्षकार वहन करेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक10-9-2018को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Reeni
10/9/18

{रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner